न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/159/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2022/478

अपीलार्थी
मधु जांगिड पुत्री श्री हरिमोहन मांगिड,
नि0 ग्राम, पोस्ट व तहसील–मलारना डूँगर,
जिला–अलवर (राज)–301020

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 02.11.22

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 06.12.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने अपने सूचना आवेदन दिनांक: 22.08.2022 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर स्वयं के विवाह प्रमाण–पत्र पंजीयन के संबंध में बिन्दुवार सूचना चाही गई थी।
4. सूचना नहीं मिलने के आक्षेप पर अपीलार्थी द्वारा प्रा0पत्र दिनांक: 30.09.2022 के माध्यम से संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो उनके पत्रांक: 610 दिनांक: 14.10.22 के माध्यम से इस न्यायालय को सुनवाई हेतु प्राप्त हुई। वांछित सूचना विषयक एक अन्य प्रा0पत्र दिनांक: 30.09.22 में भी सूचना नहीं मिलने के कारण प्रा0पत्र दिनांक: 07.11.22 के माध्यम से अपील प्रस्तुत की गई है जो एक साथ नत्थीबद्ध कर सुनवाई की गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से अपील के अनुसरण में पत्र सं. 2777 दिनांक: 24.11.22 के माध्यम से इस न्यायालय को जवाब प्रस्तुत कर प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है।
7. प्राप्त जवाब मय संलग्नक दस्तावेजात् का परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक: 22.08.2022 के परिप्रेक्ष्य में पत्र सं. 2305 दिनांक: 19.09.22 के माध्यम से एवं इसी संबंध में अन्य प्रा0पत्र दिनांक: 30.09.22 के संबंध में 2533 दिनांक: 31.10.22 के माध्यम से अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विनिश्चय कर सूचित किया जा चुका है।
8. उक्त आलोक में **प्रथम अपील खारिज** कर निस्तारित की जाती है तथापि **लोकहित में** प्रत्यर्थी को निर्दिष्ट किया जाता है कि यदि अपीलार्थी वांछित सूचना के संबंध में कार्यालय में उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट कर सूचना चिन्हित कर देती है तो उन्हें नियमानुसार प्रतिलिपि–शुल्क जमा कर सूचना प्रमाणित कर प्रदान कर दी जावे।
9. अपील उक्तानुसार निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति उभय पक्ष के साथ–साथ संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर को भी प्रेषित हो।
10. आज दिनांक: 06.12.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)